**पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में**

**रणधीर पासवान**

**बनाम**

**बिहार राज्य एवं अन्य**

2018 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 3162

27 सितंबर 2023

**(माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव रॉय)**

## विचार के लिए मुद्दा

क्या याचिकाकर्ता इस आधार पर 'चौकीदार' के पद पर नियुक्त होने का हकदार है कि उसके पिता, जो एक सेवारत चौकीदार हैं, ने उसकी सेवानिवृत्ति की तिथि से एक माह पूर्व इस पद के लिए उसकी अनुशंसा की थी?

## हेडनोट्स

भारत का संविधान - अनुच्छेद 14, 16 - बिहार चौकीदार संवर्ग (संशोधन) नियम 2014 - नियम 5(7) - 'विभाग' अधिसूचना/ज्ञापन संख्या 1 के आलोक में याचिकाकर्ता को 'चौकीदार' के पद पर नियुक्ति पत्र प्रदान करने हेतु प्रतिवादियों को निर्देश देने हेतु रिट याचिका 1896 दिनांक 05.03.2014 के तहत राज्य सरकार ने यह प्रावधान किया था कि चौकीदार अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि से एक माह पूर्व अपने आश्रित की नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकता है।

**निर्णय:** पटना उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा "देवमुनि पासवान बनाम बिहार राज्य एवं अन्य" मामले में पारित आदेश को ध्यान में रखते हुए, अब जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने "अहमदनगर महानगर पालिका मामले" में यह माना है कि अभिभावक द्वारा अपने बच्चे को 'चौकीदार' के पद पर नामित करने का अनुरोध भारतीय संविधान के स्पष्ट प्रावधानों के विपरीत है और अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करता है - याचिकाकर्ता को कोई राहत नहीं दी जा सकती - प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता के 'चौकीदार' के पद पर नियुक्ति के दावे पर पुनर्विचार करने का कोई निर्देश नहीं दिया जा सकता - रिट खारिज। (कंडिका- 2, 3, 12)

## न्याय दृष्टान्त

देवमुनि पवन बनाम बिहार राज्य एवं अन्य, एलपीए संख्या **508/2022;** अहमदनगर महानगर पालिका बनाम। अहमदनगर महानगर पालिका कामगार संघ, **(2022) 10 एससीसी 17** .......**अनुपालित।**

## अधिनियमों की सूची

भारत का संविधान; बिहार चौकीदार संवर्ग (संशोधन) नियम 2014

## मुख्य शब्दों की सूची

'चौकीदार' का पद - स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति - अभिभावक द्वारा अपने बच्चे को 'चौकीदार' के पद पर नामित करने का अनुरोध - भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन।

## प्रकरण से उत्पन्न

'चौकीदार' के पद पर नियुक्ति हेतु जिला स्तरीय समिति द्वारा पारित आदेश दिनांक 28-06-2015।

## पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

याचिकाकर्ता/ओं की ओर से: श्री प्रमोद कुमार सिन्हा, अधिवक्ता

प्रतिवादी/ओं की ओर से : श्री सुमन कुमार झा, सहायक अभिभाषक, एएजी 3

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: घनश्याम, अधिवक्ता

## माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

**पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार मे**

**2018 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 3162**

======================================================

रणधीर पासवान, पिता - रामावतार पासवान, निवासी-गाँव-फरीदपुर, थाना-शेखपुरा जिला-शेखपुरा।

... ...याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य
2. प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना।
3. उप सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना।
4. जिला दंडाधिकारी , शेखपुरा।
5. आरक्षी अधीक्षक शेखपुरा।
6. उप विकास आयुक्त, शेखपुरा।
7. अनुमंडल पदाधिकारी शेखपुरा।
8. वरिष्ठ उप-समाहर्ता प्रभारी सामान्य शाखा शेखपुरा।
9. अतिरिक्त चयन अधिकारी, शेखपुरा।
10. अंचल अधिकारी, शेखपुरा।
11. थाना प्रभारी शेखपुरा, थाना शेखपुरा।

..........उत्तरदाता/ओं

======================================================

**उपस्थितिः**

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री प्रमोद कुमार सिन्हा, अधिवक्ता

उत्तरदाता/ओं के लिए : श्री सुमन कुमार झा, एएजी के एसी

======================================================

**समक्ष : माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव रॉय**

**सी. ए. वी. निर्णय**

**दिनांक :27-09-2023**

पक्षों को सुना।

**2.** वर्तमान याचिका उत्तरदाताओं को निर्देश देने के लिए प्रस्तुत की गई है कि याचिकाकर्ता को 'विभाग' अधिसूचना/ज्ञापन संख्या 1896 दिनांक 05.03.2014 के आलोक में *'चौकीदार'* के पद पर नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाए।

**3.** याचिकाकर्ता का मामला इस प्रकार है/हैं :-

(i) याचिकाकर्ता के पिता शेखपुरा थाना (हथियावान चौकी) में *'चौकीदार'* के पद पर काम कर रहे थे और परिपत्र के आलोक में, वह स्वैच्छिक रूप से अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख से एक महीने पहले अर्थात 30-06-2015 को सेवानिवृत्त हुए;

(ii) राज्य सरकार ने दिनांक 05-03-2014 की अधिसूचना द्वारा बिहार चौकीदार संवर्ग (संशोधन) नियम 2014 (जिसे अब संक्षेप में 'नियम' कहा जाएगा) जारी किया, जिसमें नियम 5 उपनियम 7 के अनुसार,राज्य सरकार ने यह परिकल्पना की कि एक '*चौकीदार'* अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि से एक माह पूर्व अपने आश्रित की नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकता है;

(iii) याचिकाकर्ता के पिता, अर्थात्,रामावतार पासवान ने दिनांक 30.05.2015 को जिला दंडाधिकारी, शेखपुरा के समक्ष 'नियमों' के तहत एक आवेदन प्रस्तुत किया है, जिसमें उनके पुत्र, अर्थात्,रणधीर पासवान (याचिकाकर्ता) को उनकी ओर से *'चौकीदार'* के पद पर नियुक्त करने की सिफारिश की गई है;

(iv) आगे का मामला यह है कि उनके पिता ने 20-05-2015 को नोटरी सार्वजनिक हलफनामा भी प्रस्तुत किया जिसमें कहा गया कि वह अपने बड़े बेटे, अर्थात्,रणधीर पासवान को शेखपुरा पुलिस स्टेशन में *'चौकीदार'* के पद पर नियुक्त करने के इच्छुक हैं;

(v) याचिकाकर्ता ने हथियावान चौकी के प्रभारी के समक्ष एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था, जिसे विधिवत रूप से 30.05.2015 को ही '*चौकीदार'* के पद के लिए उसके पक्ष में अनुशंसा के साथ अंचल अधिकारी को भेज दिया गया था;

(vi) अंचल अधिकारी ने याचिकाकर्ता के आवेदन को हथियावान चौकी के प्रभारी द्वारा की गई अनुशंसा के साथ दिनांक 04-06-2015 के पत्र संख्या 342 के माध्यम से जिला दंडाधिकारी, शेखपुरा के समक्ष अग्रेषित कर दिया, जिसमें यह भी उल्लेख किया गया था कि याचिकाकर्ता ने अपने पिता रामावतार पासवान, जो 30-06-2015 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं, की जगह '*चौकीदार*' के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन दायर किया था।।

(vii) याचिकाकर्ता का आवेदन सिफारिशों के साथ जिला स्तरीय समिति के समक्ष '*चौकीदार*' के पद पर नियुक्ति के लिए प्रस्तुत किया गया और 28-06-2015 को जिला दंडाधिकारी, शेखपुरा और पाँच अन्य अधिकारियों की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई।समिति ने याचिकाकर्ता (प्रस्ताव संख्या-4 में उल्लिखित) के मामले पर समुचित विचार करने के बाद यह माना कि रामावतार पासवान ने समय पर अर्थात् अपनी सेवानिवृत्ति के एक महीने से पहले आवेदन नहीं दिया था और तदनुसार आवेदन को दिनांक 28-08-2015 ज्ञापन संख्या-1172\एसए शेखपुरा द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है।

**4.** उक्त निर्णय से व्यथित होकर , वर्तमान रिट याचिका दायर की गयी।

**5.** याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने दलील दिया कि ''समिति' ने यह मानने में गलती की कि उसके पिता ने अपनी नियुक्ति विस्तार के लिए 04.06.2015 को आवेदन दायर किया था।

**6.** उन्होंने दलील दी कि वास्तव में आवेदन शेखपुरा थाना के थाना प्रभारी, के समक्ष 30.05.2015 को ही प्रस्तुत कर दिया गया था, यानी उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख 30.06.2015 से एक महीने पहले।

**7.** आगे दलील यह है कि यह वास्तव में शेखपुरा के अंचल अधिकारी द्वारा 04.06.2015 को अग्रेषित किया गया था, जिस पर विचार किया गया और उक्त त्रुटिपूर्ण विचार के आधार पर, '*चौकीदार*' के पद पर नियुक्ति के उनके दावे को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया गया कि आवेदन उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि से एक माह पूर्व नहीं किया गया है (रिट याचिका का अनुलग्नक 6)।

**8.** उत्तरदाता संख्या 4, 6, 7, 8 और 10 की ओर से एक जवाबी हलफनामा दायर किया गया है।

**9.** श्री सुमन कुमार झा, विद्वान एएजी के एसी ने दलील दिया कि हालाँकि 2018 में दायर किए गए जवाबी हलफनामे में रुख, समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुरूप था; हाल ही में, जो घटनाक्रम हुआ है, उस पर इस न्यायालय को ध्यान देने की आवश्यकता है।।

**10.** उन्होंने **देवमुनि पवन बनाम बिहार राज्य एवं अन्य** के मामले में पटना उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा **25.02.2023** को निर्णीत **एलपीए संख्या 508/2022** में 'चौकीदार' की नियुक्ति से संबंधित दिए गए आदेश की एक प्रति प्रदान की।

**11.** उक्त आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि खंड पीठ ने **अहमदनगर महानगर पालिका बनाम अहमदनगर महानगर पालिका कामगार संघ (2022) 10 एस. सी. सी. 171** में प्रतिवेदित के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक आदेश पर ध्यान दिया है और तदनुसार कंडिका **17 से 20** में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है :-

*"17. अतः, इस न्यायालय का यह विचार है कि **'2014 नियम'** के नियम **5(7)** का प्रावधान निम्नानुसार है:*

*परंतुक-*

*(क) चौकीदार संवर्ग के कर्मचारी अपनी वार्धक्य सेवानिवृत्ति की तिथि से कम से कम एक माह पूर्व के प्रभाव से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति एवं चौकीदार पद पर अपने द्वारा नामित किसी आश्रित को नियोजित करने के लिए आवेदन कर सकेगा।*

*(ख) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर*

*अवधारित न्यूनतम एवं अधिकतम उम्र-सीमा संबंधी प्रावधान उन पर लागू रहेगा।*

*(ग) स्वैच्छिक सेवानिवृति के पश्चात नियुक्त व्यक्ति के आश्रित को इस परन्तुक का लाभ अनुमान्य नहीं होगा।*

*(घ) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का इच्छुक चौकीदार संवर्ग के व्यक्ति को सेवानिवृत्ति की अपनी इच्छित तिथि से कम से कम एक माह पूर्व अपने पदस्थापन जिला के जिला पदाधिकारी को अपना आवेदन देना होगा। "*

*यह संविधान के व्यक्त प्रावधानों के विपरीत है जो संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करता है और तदनुसार, उपरोक्त प्रावधान को निरस्त किया जाता है। इसलिए यह अपीलकर्ता के मामले को आगे नहीं बढ़ा सका और अपीलकर्ता **'2014, नियम' के नियम 5(7)** के तहत किसी भी लाभ का दावा नहीं कर सका।*

*18. तदनुसार, इस न्यायालय ने पाया और अभिनिर्धारित किया कि इस स्तर पर उत्तरदाताओं को '2014 नियम' के प्रावधानों के अनुसार अपने बच्चे को रोजगार का ऐसा लाभ देने के लिए अपीलार्थी के पिता के आवेदन पर पुनर्विचार करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता है।*

*19. उपरोक्त की गई चर्चा के आलोक में और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के तहत, वर्तमान लेटर्स पेटेंट अपील को खारिज किया जाता है।*

*20. इस निर्णय की एक प्रति को संबंधित प्राधिकरण को महानिबंधक के माध्यम से अग्रेषित किया जाए ताकि समान मुद्दे, यदि कोई हो, में आगे कदम उठाए जा सकें।"*

**12.** पक्षों को सुनकर और पटना उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा **देवमुनी पासवान बनाम बिहार राज्य और अन्य** (उपरोक्त) के मामले में पारित आदेश को ध्यान में रखते हुए अब जब यह माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **अहमदनगर महानगर पालिका (**उपरोक्त**)** के मामले में अभिनिर्धारित किया गया है कि उक्त माता-

पिता द्वारा अपने बच्चे को '*चौकीदार*' के पद के लिए नामित करने का अनुरोध भारत के संविधान के व्यक्त प्रावधानों के विपरीत है जो अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करता है; याचिकाकर्ता को कोई राहत नहीं दी जा सकती है।

**13**. इस प्रकार,न्यायालय के सुविचारित दृष्टिकोण में, उत्तरदाताओं को याचिकाकर्ता के '*चौकीदार*' पद पर नियुक्ति के दावे पर पुनर्विचार करने का कोई निर्देश नहीं दिया जा सकता।

**14.** इस प्रकार रिट याचिका विफल हो जाती है और तदनुसार खारिज की जाती है।

**(राजीव रॉय, न्यायमूर्ति)**

नेहा/-

**खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।**